न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2019

बउनवान

प्रेमबाई बेवा सुदामा आयु 5 साल जाति–पटवार निवासी–गुरूद्वारे के सामने की गली, बारां तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांटा)**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.06.2014 वाके ग्राम कल्याणपुरा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांटा)**

2. परोकार सरकार **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक– 31.10.2019

1– अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 527 दिनांक 10.5.2014 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह.बारां से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.6.2014 खिलाफ कानून व मिसल के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा इन्तकाल तस्दीक करते समय वासु पुत्र सुदामा को बालिग दर्ज कर दिया है। जबकि वासु की उम्र मात्र 17 वर्ष है तथा इन्तकाल तस्दीक करते समय वासु की उम्र मात्र 14 वर्ष थी जो नाबांलिग है।

2– वासु पुत्र सुदामा नाबालिंग जरिये वली माता प्रेमबाई बेवा सुदामा दर्ज होना चाहिये था। उक्त तथ्य हल्का पटवारी द्वारा रेस्पों0 के समक्ष भी सहीं रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण उक्त गलती हुयी है। न्यायहित में उसे सहीं किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.6.14 वाके ग्राम कल्याणपुरा में दर्ज वासु पुत्र सुदामा को नाबालिंग दर्ज कर जरिये वली माता प्रेमबाई पत्नी सुदामा जाति–पटवा निवासी–बारां दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा के पिता श्री सुदामा की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फौती इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.6.2014 तस्दीक किया गया है जिसमें वारिस पुत्र वासु को बालिग दर्ज कर दिया है। जबकि वासु की जन्म तिथि दिनांक 28.6. 2002 की है जो जन्मप्रमाण व आधार कार्ड से प्रमाणित है। इन्तकाल तस्दीकी दिनांक को वासु मात्र 12 वर्ष का था। हल्का पटवारी ने बालिंग दर्ज करने में कानूनी भूल है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां ने उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है तथा दुरूस्त योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर, तहसीलदार, बारां को उक्त इन्तकाल संशोधित कर, वासु पुत्र सुदामा को नाबालिंग दर्ज कर, जरिये सरंक्षक वली माता प्रेमबाई पत्नी सुदामा जाति—पटवा नि. बारां दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन है कि तत्समय हल्का पटवारी व भू.अभि.निरीक्षक की वारिसान् सजरा रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इन्तकाल तस्दीक किया गया है। यदि इन्तकाल में वासु को नाबालिंग के स्थान पर बालिग दर्ज कर दिया है तो रेकार्ड का परीक्षण उपरान्त दुरूस्त योग्य है तो उसे सहीं किया जा सकता है।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक सुदामा पुत्र लक्ष्मीचंद का, वारिसान् के नाम दिनांक 10.6.2014 को फौती इन्तकाल नं0 527 वाके ग्राम कल्याणपुरा तस्दीक किया गया है। अपीलांटा का कथन है कि इन्तकाल में वासु को बालिग दर्ज कर दिया है। जबकि वासु नाबालिंग है। इस परिपेक्ष्य में अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् जन्मप्रमाण व आधार कार्ड प्रस्तुत किये है जिसमें वासु पुत्र सुदामा की जन्मतिथि दिनांक 28.06.2002 अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि वक्त तस्दीकी फौती इन्तकाल अपीलांटा का पुत्र वासु नाबालिंग था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तत्समय फौती इन्तकाल में वासु को बालिग करने की विधिक भूल की है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 527 दिनांक 10.06.2014 वाके ग्राम कल्याणपुरा तह0 बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि मृतक सुदामा के जायन्दा वारिसान् की विधिवत सुनवाई व अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा जन्म प्रमाणपत्र व आधारकार्ड का परीक्षण कर, पुनः विधिसम्मत फौती इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.11.15 11:21:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: